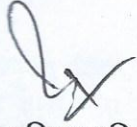


प्रपत्र-5

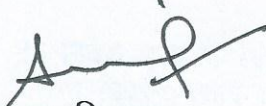
परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

संख्या- 2724 / 11(2) / 15-05(मु0म0घा0) / 2015

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 24 अप्रैल, 2015

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 63 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध गये विभिन्न 63 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 26.21 लाख (२ सैंतीस करोड़ छब्बीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 अर्थात् कुल 63 कार्यों हेतु ₹ 6.30 लाख (६ लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। शान्त शासनादेश सं0-1764 / 11(2) / 10-17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार त परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार सन अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में वचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत गण तैयार करते समय किया जायेगा।

कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी में व्यय कदापि न किया जाय।

स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट्स रूलस-2006 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मेनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vi)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0- 2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में आवश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखापीशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कों- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 बृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

photo copy Attached

अधिक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

शासनादेश संख्या- 2724/111(2)/15-05(मु0म0घो0)/2015 दिनांक 24 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०प०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	(धनराशि लाख ₹ में) चातू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 272/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत मस्ता से स्थिकोट-कालीमठ वैकल्पिक मोटर मार्ग व पुल का निर्माण।	7.00 + 3 No.	71.72	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 278/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनी के अन्तर्गत ग्राम ऐरा (सेरा) के नीचे कथुजा गाड़ पर पैदल पुल का निर्माण कार्य।	30 mt	1.20	0.10
3	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में भण्ज-गाड़-मयकण्ठी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.72	0.10
4	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में चन्नापुरी-गुगली मोटर मार्ग के ककोला से सेरा-टकरौली मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	18.16	0.10
5	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में नारायणकोटी-कुठेड़ा-देवसाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	18.16	0.10
6	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में वेडुवाड़-जगाव मोटर मार्ग से सोड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.82	0.10
7	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में क्यार्क-बरसुडी-भेरी बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	17.84	0.10
8	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-553/2015 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जाबरी-पाटियों-गुनासू-मोली-कलई-कड़ा-धनसुन्दर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	44.30	0.10
9	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-817/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-जागरेश्वर में अल्मोड़ा-शहरफादक मोटर मार्ग के गड़पानी से ग्राम ब्रजेटी-ग्वालदलों अनु जाति चस्ती तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	5.00	42.58	0.10
10	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-884/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-जागरेश्वर के विकास खण्ड लमगाड़ा में चौमू से कलसीमा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	3.00	24.70	0.10

सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं लुप्त वि
अखीमठ (केंद्र शाखा)

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं लुप्त वि
अखीमठ (केंद्र शाखा)

शासनादेश संख्या- 2784/11(2)/15-05(गोमोघो)/2015 दिनांक 17 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

-8-

महो मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-442/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत जोतधार से सार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.50	20.66	0.10
महो मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-450/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत धरेख-धरगांव मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	5.00	70.65	0.10
महो मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-744/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के अन्तर्गत घनसाली-टिहरी-प्रतापनगर से जखिण्डा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	62.15	0.10
महो मुख्यमंत्री घोषणा सं. 625/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र-रायपुर में नवगठित ग्राम सभा भगलूवाला में चारातघर व सड़कों का निर्माण कार्य।		1.92	0.10
महो मुख्यमंत्री घोषणा सं. 600/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र-रायपुर में तातापानी शिव नाले पर दो लेन सेतु का निर्माण कार्य।	1 No.	4.95	0.10
	311.00 + 16 Brg	3726.21	6.30

(कुल र. छः लाख/तीस हजार मात्र)

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

सहायक अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

-2-

स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संयुक्त अधिशासी अभियन्ता होगा।

वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा।
स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत
में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(1) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क
जिनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो
सं कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप
अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते
ए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(3) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान
10-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कों -आयोजनागत
-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 38/XXVII/(2)/2015 दि०- 22 अप्रैल, 2015 को
प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

— (अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव

संख्या- 2724 / 111(2)/15-05(मोमोमो)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, राववाल/कुमार्य मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाइल।

21/9/15

आज्ञा सं.

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं संरक्षण वि०
(उत्तराखण्ड शासन)

सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं संरक्षण लो० नि० वि०
उत्तराखण्ड (देहरादून)